न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 153/2013
दायर दिनांक :– 06.06.2013

अनवान

श्री मथरा पिता खाना मीणा नि. धोकडिया (बेई) तह. जहाजपुर

वादी......

बनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. श्री फौरू पिता चन्द्रा मीणा नि. धोकडिया बेई तह. जहाजपुर
3. श्री सोराम पिता सोनाथ मीणा नि. धोकडिया बेई तह. जहाजपुर
4. श्रीमति नन्दू पत्नि रामपाल मीणा नि. धोकडिया बेई तह. जहाजपुर
5. श्री कजोड पिता मोती मीणा नि. धोकडिया बेई तह. जहाजपुर
6. श्री मोती पिता चन्द्रा मीणा नि. धोकडिया बेई तह. जहाजपुर
7. श्री फुन्दा पिता मोती मीणा नि. धोकडिया बेई तह. जहाजपुर
8. श्री सोजी पिता मोती मीणा नि. धोकडिया बेई तह. जहाजपुर
9. श्री राजू पिता मोती मीणा नि. धोकडिया बेई तह. जहाजपुर
10. श्री भूरा पिता लादू हरिजन नि. धोकडिया बेई तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री रितेश कांटिया, वकील वादी

:: **आदेश** ::　　　　　दिनांक 17.03.2020

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बेई प. ह. बेई तह0 जहाजपुर की आ0 न0 447/1 रकबा 01.15 बीघा वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी से स्थित है जो वादी के कब्जे काश्त है। उक्त भूमि 1986 से वादी को आवंटन हुई जहां वादी को कब्जा दिया गया वहां ही काश्त कर रहा हैं व नक्शे में भी फीट है। वादी को सन 1986 में भूमि आंवटन की गई जिसकी वादी को कब्जा संभलाया गया। तत्पश्चात वादी ने पटवारी से अलग अलग समय में नक्शे की नकले ली जिसकी फोटो प्रति वादी के पास हे। जिसमें आ.न 447/1 जहां बना हुआ है। वहां 447/2 दर्शाया गया हैं व 447/2 की जगह 447/1 दर्शाया गया है। आंवटन मीसल मे वादी को आंवटित भूमि का अलग से नक्शा था जो पत्रावली में अब उपलब्ध नही हैं वह सिपुर्दगी नामें पर ही नक्शे की प्रति बना रखी हैं नक्शे में बाद मे परिवर्तन किया गया हैं राजस्व अधिकारियों द्वारा नक्शे में बाद में परिवर्तन किया गया है सिपुर्दगी नामें पर नक्शा वर्तमान में बनाया गया है। पहले नक्शा नही था। वादी ने प्रतिवादी सं. 2 से 9 के विरूद्व वादी की भुमि में अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमण किया व निर्माण किया जिसके मु. न. 178/03 है दिनांक 21.5.07 को मान्य न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। मान्य न्यायालय द्वारा प्रतिवा[illegible] से 9 के द्वारा किये गये निर्माण कार्य को तुडवाकर प्रतिवादी को [illegible] कब्जा संभलाने का निर्णय पारीत किया गया। जिसकी [illegible] पटवा[illegible] उक्त भूमि तरमीम नही होने से कब्जा नही संभलाया गया। वक्त के पटवारी द्वारा नक्शे में परिवर्तन किया गया यहा तक अलाटमेन्ट मीसल के नक्शे में भी परिवर्तन किया गया। जिससे वादी न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 14:13:23 IST
Reason: SelfAttested

से महरूम हो रहा है। ग्राम बेई प.ह. बेई में स्थित आ.न. 447/1 रकबा 1.15 बीघा वादी के कब्जे अनुसार नक्शे में फीट करने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित करना फरमावे। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में प्रतिवादी द्वारा जो निर्माण किया गया उसे तुडवा कर प्रतिवादी को बेदखल पुनः वादीगण को कब्जा संभलाये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रदान करने की मांग की।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 की प्रति प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 की प्रति, नक्शा ट्रेस ग्राम बेई की प्रति, नक्शा ट्रेस दिनांक 04.05.92 की प्रति, आंवटन आदेश की प्रति प्रदर्श 2, आंवटन नक्शे की प्रति प्रदर्श 3, पटवारी को ईजराय की पालना हेतु दी गई प्रदर्श 4, वर्तमान नक्शे की प्रति प्रदर्श 5, न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रदर्श 6, न्यायालय की डिक्री की प्रति प्रदर्श 7 प्रस्तुत की गई। जिसे शामिल फाईल किया गया। एवं गवाह बयान में स्वंय वादी मथरा मीणा पी.डब्ल्यु. 1 के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार वक्त जमाबन्दी रोटेशन लिखाई के सहवन से आ.न. 447/2 का 447/2 दर्ज कर दिया गया जो आज दिनांक तक बदस्तुर जारी है। आ. न. 447/2 रकब 12.10 बीघा की नक्शा लट्टा मे तरमीम हो रखी है। तथा आ.न. 447/1 रकबा 1.15 बीघा की तरमीम नही है। आ.न. 447/1 रकबा 1.15 बीघा की नक्शा लट्टा में तरमीम नही है एवं खोदार मथुरालाल का आ.न. 447 मेंलगभग 1.05 बीघा भूमि पर कब्जा होकर इसमें केलूपोश कमरा बनाम हुआ हैं आ.न 447 में रकबा 1.05 बीघा के अतिरिक्त अतिक्रमण मुक्त रकबा शेष नही है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की ग्राम बेई प.ह. बेई में स्थित आ.न. 447/1 रकबा 1.15 बीघा वादी के कब्जे अनुसार नक्शे में फीट करने की तथा उक्त वर्णित कृषि आराजियात में प्रतिवादी द्वारा जो निर्माण किया गया उसे तुडवा कर प्रतिवादी को बेदखल पुनः वादी को कब्जा संभलाये जाने की डिक्री फरमाई जावे। मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त वर्णित आराजियात के वादी रेकार्डेड खातेदार है। वादी की खातेदारी भुमि नक्शे में तरमीम नही है। जिसकी ताईद प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट से होती है। जिससे वादी की खातेदारी भूमि में मौका, कब्जा व रेकार्ड अनुसार तरमीम एवं रेकार्ड में संशोधन किया जाना उचित है। जिसे वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता हैं।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम बेई प. ह. बेई तह0 जहाजपुर की आ0 न0 447/1 रकबा 01.15 बीघा को रेकार्ड एवं मौके व कब्जा अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रावत)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 14:13:23 IST
Reason: SelfAttested